संख्या-230/2016/5787/26-3-2016-10(28)/99

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में की वृद्धावस्था/किसान पेंशन एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापेंशन योजन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-71/2016/1003/26-3-2016-10(28)/99, दिनांक 01-04-2016 के क्रम में आपके पत्रांक-2739/स0क0/एन0एस0ए0पी0/वृ0पें0यो0/2016-17, दिनांक 08.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत उक्त योजना हेतु निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लाभार्थियों के सी.बी.एस. बैंक खातों में देय पेंशन के लिए अवशेष रू0 7500.00 लाख/-(रूपये पचहत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या-80 आयोजनेत्तर मद **(धनराशि लाख रूपयों में)**

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2016-17	शासनादेश दिनांक-01.04.2016 द्वारा निर्गत धनराशि	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि 2016-17
राजस्व लेखा 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेतर- 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- 102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन- 03-वृद्धावस्था/किसान पेंशन- 0302-वृद्धावस्था/किसान पेंशन- 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)-	15000	7500	7500
योग-2235	**15000**	**7500**	**7500**

(रूपये पचहत्तर करोड़ मात्र)

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016, में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(2) अनुदान एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये। गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत धनराशि एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(5) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(6) पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का वहन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान सं0-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-03-वृद्धावस्था/किसान पेंशन-0302-वृद्धावस्था/किसान पेंशन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-8 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-230/2016/5787 (1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।

4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5-संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक समाज कल्याण,उ0प्र0।

6-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

7-वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ

8-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,उ0प्र0 द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।

9-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।